प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र0नि0 ब्यूरो, झालावाड़ थाना :– प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष :– 2022
   प्र0सू0रि0 सं ....214/22........ दिनांक........01/6/2022........
2. (1) अधिनियम पी.सी.(संशोधन) एक्ट 2018..............धाराऐं 7 पी.सी.(संशोधन) एक्ट 2018

   (2) अधिनियम..धाराऐं ....

   (3) अधिनियम..धाराऐं..

   (4) अन्य अधिनियम एवं .... धाराऐं ....

3. (क) घटना का दिन :– मंगलवार दिनांक :– 31.05.2022
   (ख) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– 24.05.2022 समय :– 12.15 पी.एम.
   (ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या ....12........ समय........6.00 P.M.
4. सूचना कैसे प्राप्त हुई– (लिखित/मौखिक) लिखित प्रार्थना पत्र
5. घटनास्थल का ब्यौरा :–
   (क) थाने से दिशा एवं दूरी –चौकी ए.सी.बी. झालावाड़ से करीब 04 कि0मी0 बजानिब उत्तर दिशा
   बीट संख्या..जुरामदेही सं..
   (ख) पताः– कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़
   (ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस थाने का नाम..............जिला ....
6. शिकायतकर्त्ता/इतिला देने वाला :–
   (क) नाम :– श्री शोकत अली
   (ख) पिता/पति का नाम :– श्री नियामत अली जाति मुसलमान
   (ग) जन्म तिथि/उम्र :– 49 साल
   (घ) राष्ट्रीयता – भारतीय
   (ड़) पासपोर्ट संख्या........................जारी करने की तिथि..............................जारी करने का स्थान
   (च) व्यवसाय –
   (छ) पता :– राड़ी के बालाजी रोड़ हबीब नगर झालावाड़
7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण :–

   1. हेमराज पुत्र श्री गुलाबचन्द जाति नागर उम्र 30 वर्ष निवासी वार्ड नं0 10 हरनावदा शाहजी थाना हरनावदा शाहजी जिला बारां हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, मिनि सचिवालय झालावाड़ (राज0)

8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण :– कोई नहीं
9. चोरी हुई/लिखित सम्पति की विशिष्टियॉ (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
10. चोरी हुई/लिखित सम्पति का कुल मूल्यः – 4,000 रूपये ....
11. पंचनामा/यूडी के संख्या (अगर हो तो)..
12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु :–

महोदय,

हालात् घटना क्रम इस प्रकार है कि दिनांक 24.05.2022 को समय 12.15 पी.एम. पर परिवादी श्री शोकत अली पुत्र श्री नियामत अली जाति मुसलमान उम्र 49 वर्ष निवासी राड़ी के बालाजी रोड़, हबीब नगर झालावाड़ ने ब्यूरो कार्यालय झालावाड पर स्वंय उपस्थित होकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसीबी झालावाड़ के नाम रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाने बाबत् श्री गोपाल लाल हैड कानि. नं. 26 के समक्ष एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र पेश किया गया। परिवादी श्री शोकत अली के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन श्री गोपाल लाल हैड कानि0 द्वारा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जयपुर प्रशिक्षण में होने के कारण मेरे मोबाईल पर वार्ता कर परिवादी श्री शोकत अली द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बंध में अवगत कराया गया तथा मेरे निर्देशानुसार श्री गोपाल लाल हैड कानि0 नं0 26 द्वारा अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। अग्रिम कार्यवाही के क्रम में परिवादी श्री शोकत अली ने दरियाफ्त पर उक्त प्रार्थना पत्र

अपनी हस्तलेख में लिखा होना बताया। परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्य सही होना तथा उस पर स्वंय के हस्ताक्षर होना बताया है। परिवादी ने मजमून दरियाफ्त पर श्री गोपाल लाल हैड कॉनि0 को बताया कि उसके नाम से दो टोपीदार बन्दूकें हैं जिनमें एक सिंगल नाली व दूसरी डबल नाली बन्दूकों के लाईसेंस है। जिनका लाईसेंस दिसम्बर 2021 में समाप्त होने जा रहा था, इसलिये उसने दोनो बन्दूकों के लाईसेंस नवीनीकरण के लिये नवम्बर 2021 माह में ही श्रीमान एस0डी0एम0 साहब झालावाड़ के कार्यालय में नवीनीकरण की कार्यवाही हेतु बन्दूकों के लाईसेंस नवीनीकरण हेतु जमा करा रखे थे। उसके द्वारा लाईसेंस नवीनीकरण के 2200 रूपये की फीस भी जमा करा दी थी तथा एस0डी0एम0 साहब कार्यालय झालावाड़ में तैनात बाबू श्री हेमराज नागर ने नवीनीकरण फीस के अलावा उससे उस समय भी खर्चे पानी के 1000 रूपये लिये थे। अप्रैल 2022 माह में जब में बाबू श्री हेमराज नागर से मिला और कहा कि मेरी बन्दूकों का लाईसेंस फटा हुआ है, इसका डुप्लीकेट नया लाईसेंस बना दो। इस पर श्री हेमराज नागर बाबू ने मुझसे कहा कि मुझे रिश्वत के रूप में 5000 रूपये देने पड़ेगे तब जाकर तुम्हारा डुप्लीकेट लाईसेंस बनेगा। इसके बाद मैं आज से 8–10 दिन पूर्व फिर श्री हेमराज नागर बाबू से मिला तो उसने कहा कि तुम्हारी दोनो बन्दूकों के लाईसेंस का नवीनीकरण तो हो गया है परन्तु फटे हुए लाईसेंस की जगह नया डुप्लीकेट लाईसेंस बनाने के लिये 5000 रूपये और देने पड़ेगे जबकि फटे हुए लाईसेंस की जगह नया डुप्लीकेट लाईसेंस बनाने के लिये कोई रूपये नहीं लगते हैं, इसके बावजुद भी श्री हेमराज नागर इस काम के लिये मुझसे रिश्वत मांग रहा है। इस पर मैंने कहा कि 1000 रूपये तो मैं अपको पहले ही दे चुका हूँ तो उसने कहा कि चलो ठीक है, 4000 रूपये दे देना। तुम्हारा नया डुप्लीकेट लाईसेंस बना दूंगा। मैं मेरे जायज काम के लिए श्री हेमराज नागर बाबू को 4000 रूपये रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूं। उन्हें रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं। मेरी उनसे कोई पुरानी रंजिश अथवा रूपये पैसे का पुराना लेन देन बकाया नही है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र व मजमून दरियाफ्त से मामला संशोधित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 की धारा 7 की परिधी में पाये जाने पर श्री गोपाल लाल हैड कानि0 ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को मोबाईल पर वार्ता कर हालात से अवगत करवाया तथा परिवादी से वार्ता करवायी। दिनांक 24.05.2022 समय 12:35 पीएम पर मेरे निर्देशानुसार श्री गोपाल लाल हैड कॉनि0 नं0 26 ने मालखाना में रखे हुए ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को निकलवाकर चेक किया जाकर परिवादी श्री शोकत अली को चालू बन्द करने की विधिवत् प्रक्रिया ऑपरेटिंग करना भलीभांति समझाकर सुपुर्द कर रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु ब्यूरो कार्यालय के कॉनि0 श्री देवदान सिंह नं0 425 को निगरानी रखने हेतु रवाना किया था। दिनांक 24.05.2022 समय 01:15 पीएम पर ब्यूरो कार्यालय से परिवादी के साथ निगरानी हेतु भेजे गये श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425 व परिवादी श्री शोकत अली ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये थे। जिसके बारे में श्री गोपाल लाल हैड कानि0 ने बताया था कि परिवादी श्री शोकत अली ने बताया कि मैं श्री देवदान सिंह जी के साथ साथ मिनि सचिवालय झालावाड़ में अटल सेवा केन्द्र के पास मोटर साईकिल खड़ी कर श्री देवदान सिंह जी को वहीं पर साईड में खड़ा रहने का कहकर आरोपी श्री हेमराज नागर से रिश्वत मांग वार्तालाप करने के लिए कार्यालय उप खण्ड अधिकारी, झालावाड़ चला गया था। मैंने मेरी दोनों टोपीदार बन्दूकों के फटे हुए लाईसेंस की जगह नया डुप्लीकेट लाईसेंस बनवाने के सम्बन्ध में आरोपी श्री हेमराज नागर से कार्यालय उप खण्ड अधिकारी झालावाड़ में वार्तालाप कर ली थी। वार्तालाप के दौरान उसने मुझसे 4000 रूपये रिश्वत राशि देने पर नया लाईसेंस बनाकर देने के सम्बन्ध में बातचीत की है। वार्तालाप के दौरान आप द्वारा सुपुर्द किये गये डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू कर लिया था, जिसे वार्तालाप के बाद बन्द कर मिनि सचिवालय के साईड में अटल सेवा केन्द्र के पास मेरा इन्तजार कर रहे श्री देवदान सिंह जी को सौंप दिया था। परिवादी श्री शोकत अली द्वारा बताये गये तथ्यों की हमराह निगरानी हेतु गये कॉनि0 श्री देवदान सिंह द्वारा पुष्टि की गयी थी। परिवादी श्री शोकत अली ने श्री गोपाल लाल हैड कॉनि0 को बताया था कि वह 4–5 दिन व्यस्त रहेगा तथा सोमवार को वह ब्यूरो कार्यालय में आकर ट्रेप कार्यवाही के सम्बन्ध में सम्पर्क कर लेगा। परिवादी श्री शोकत अली को अब तक की कार्यवाही के सम्बंध में गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर रूखसत किया गया। रिकॉर्डेड डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को श्री गोपाल लाल हैड कानि0 नं0 26 द्वारा सुरक्षित रूप से मालखाना में रखा गया। रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही के सम्बंध में श्री गोपाल लाल हैड कॉनि0 द्वारा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को मोबाईल पर वार्ता कर हालात अवगत कराये गये। दिनांक 30.05.2022 समय 09:30 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया। श्री गोपाल लाल हैड कानि0 नं0 26 ने परिवादी श्री शोकत अली द्वारा ट्रेप कार्यवाही कराये जाने बाबत् प्रस्तुत किये गये मूल प्रार्थना पत्र तथा उस पर मेरे निर्देशानुसार श्री गोपाल लाल हैड कानि0 नं0 26 द्वारा की गयी कार्यवाही सम्बंधी रनिंग नोट, फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकार्डर आदि कागजात की पत्रावली मेरे समक्ष पेश की तथा पूछने पर मौखिक रूप से परिवादी द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र पर की गयी कार्यवाही बाबत् सम्पूर्ण हालात बताये। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा श्री गोपाल लाल हैड कानि0 नं0 26 से परिवादी श्री शोकत अली द्वारा ट्रेप कार्यवाही कराये जाने बाबत् जानकारी लेने पर अवगत कराया कि परिवादी श्री शोकत अली शाम को ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आयेगा। उस समय वह जानकारी देगा कि ट्रेप कार्यवाही कब की जानी है। दिनांक

30.05.2022 समय 04:45 पीएम पर श्री गोपाल लाल हैड कानि0 नं0 26 के साथ एक व्यक्ति मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया। जिसके बारे में श्री गोपाल लाल हैड कॉनि0 नं0 26 ने बताया कि यही परिवादी श्री शोकत अली हैं, जिनके द्वारा श्रीमान के नाम से ट्रेप कार्यवाही कराने बाबत् दिनांक 24.05.2022 को पेश किये गये प्रार्थना पत्र पर आपके निर्देशानुसार रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही की गयी है। इस पर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री शोकत अली से ट्रेप कार्यवाही कराने बाबत् पेश किये प्रार्थना पत्र, रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप आदि के बारे में जानकारी ली तो परिवादी श्री शोकत अली द्वारा श्री गोपाल लाल हैड कॉनि0 द्वारा पूर्व में बताये गये सम्पूर्ण तथ्यों व हालात् की पुष्टि हुई। परिवादी श्री शोकत अली ने बताया कि आरोपी श्री हेमराज नागर बाबू द्वारा उसे कल दोपहर पूर्व रिश्वत राशि के 4000/–रूपये लेकर बुलाया है। इस पर परिवादी श्री शोकत अली को दिनांक 31.05.2022 को प्रातः 08:45 एएम पर रिश्वत राशि के 4000/–रूपये लेकर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने व गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर ब्यूरो कार्यालय से रूखसत किया गया। दिनांक 30.05.2022 समय 05:00 पीएम पर परिवादी श्री शोकत अली के बताये अनुसार कल दिनांक 31.05.2022 को दोपहर पूर्व ट्रेप कार्यवाही होनी है अतः दिनांक 31.05.2022 को गोपनीय कार्यवाही के लिये दो स्वतन्त्र गवाहान की तलबी हेतु अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग झालावाड़ (राज0) के नाम तहरीर क्रमांक 792 दिनांक 30.05.2022 मूर्तिब कर श्री सूरजमल कानि. नं. 521 को देकर कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग झालावाड़ भिजवाया गया। दिनांक 30.05.2022 समय 06:00 पीएम पर कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग झालावाड से श्री सूरजमल कानि. नं. 521 ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया व अवगत कराया कि कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग झालावाड द्वारा अपने पत्रांक 454 दिनांक 30.05.2022 से गोपनीय कार्यवाही हेतु श्री लोकेन्द्र कुमार मीना पुत्र श्री लक्ष्मीचन्द मीना जाति मीना उम्र 27 वर्ष निवासी मकान नं0 235 मीना मौहल्ला ग्राम बड़गाँव तहसील हिण्डौन जिला करौली (राज0) हाल सहायक अभियन्ता खण्ड खानपुर मो0नं0 9594385995 तथा श्री बिरेन्द्र सिंह पुत्र श्री सीताराम जाति जाट उम्र 38 वर्ष निवासी मकान नं0 97 जाट मौहल्ला ग्राम. कसौदा ग्राम पंचायत नदबई जिला भरतपुर (राज0) हाल वरिष्ठ सहायक खण्ड खानपुर मो0नं0 9057259330, 9783001882 को पाबन्द कर दिया गया है। वह दिनांक 31.05.2022 को प्रातः 09.00 बजे ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित हो जायेगें। दिनांक 31.05.2022 समय 08:45 एएम पर परिवादी श्री शोकत अली कार्यालय में हाजिर आया तथा दिनांक 24.05.2022 को कार्यालय में दिये गये प्रार्थना पत्र के क्रम में आरोपी श्री हेमराज नागर बाबू से हुई वार्ता अनुसार आज उसको दी जाने वाली रिश्वत राशि 4,000/–रूपये अपने साथ लेकर आना बताया। दिनांक 31.05.2022 समय 09:00 एएम पर पूर्व में पाबन्द शुदा दो स्वतंत्र गवाहान कार्यालय अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त झालावाड़ से भिजवाये गये श्री लोकेन्द्र कुमार मीना हाल सहायक अभियन्ता खण्ड खानपुर तथा श्री बिरेन्द्र सिंह हाल वरिष्ठ सहायक खण्ड खानपुर कार्यालय में हाजिर आये। जिनसे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिचय प्राप्त कर की जाने वाली कार्यवाही के बारे में समझाया गया तथा परिवादी श्री शोकत अली पुत्र श्री नियामत अली जाति मुसलमान उम्र 49 वर्ष निवासी राड़ी के बालाजी रोड़, हबीब नगर झालावाड़ (राज0) से आपसी परिचय करवाकर परिवादी द्वारा दिनांक 24.05.2022 को एसीबी कार्यालय में पेश किया गया प्रार्थना पत्र पढ़कर सुनाया व दिखाया गया तथा उनसे ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह बनने की सहमति प्राप्त की गई व प्रार्थना पत्र पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक :– 31.05.2022 समय 09:15 एएम पर परिवादी श्री शोकत अली व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री लोकेन्द्र कुमार मीना व श्री बिरेन्द्र सिंह की मौजूदगी में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देश देकर श्री गोपाल लाल हैड कानि. नं. 26 से मालखाना मे रखे हुऐ डिजिल वाईस रिकार्डर को निकलवाया जाकर सुना गया तो दिनांक 24.05.2022 को उपखण्ड अधिकारी मिनी सचिवालय झालावाड़ में आरोपी श्री हेमराज नागर बाबू द्वारा परिवादी श्री शोकत अली से उसकी दोनों टोपीदार बन्दूकों के फटे हुए लाईसेंस की जगह नया डुप्लीकेट लाईसेंस बनवाने के सम्बंध में 4,000रूपये की रिश्वत की मांग करना सत्यापन वार्ता में पुष्टि होना पाया गया है। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुनकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425 को निर्देश देकर वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से कार्यालय के कम्प्यूटर में लिवाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान सर्व श्री लोकेन्द्र कुमार मीना व श्री बिरेन्द्र सिंह व परिवादी श्री शोकत अली को कम्प्यूटर के स्पीकर की आवाज बढ़ाकर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता सुनाई गई वार्ता में आवाजों की पहचान कर परिवादी श्री शोकत अली ने एक आवाज स्वंय की तथा दूसरी आवाज आरोपी श्री हेमराज नागर बाबू की होना बताया। वार्ता की हुबहु फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 10:00 एएम पर परिवादी श्री शोकत अली ने दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री लोकेन्द्र कुमार मीना व श्री बिरेन्द्र सिंह के समक्ष मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अपने पास से 4,000 रूपये आरोपी श्री हेमराज नागर बाबू को रिश्वत में दी जाने वाली राशि के 500–500 रूपये के कुल 08 नोट भारतीय मुद्रा के पेश किये जिनके नम्बरो को फर्द में अंकित किया गया। उक्त प्रस्तुत नोटो को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी व सरकारी स्वतन्त्र गवाहान को दिखा कर श्री हर्ष कुमार कानि. नं. 234 को निर्देश देकर फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मालखाना से निकलवाकर मंगवाई गयी तथा

उक्त कानि. को रिश्वत राशि सुपुर्द कर उसके द्वारा ही 4,000/–रूपये रिश्वत राशि के नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर इस प्रकार लगवाया गया कि नोटो पर पाउडर की मौजूदगी प्रभावी व अदृश्य रहे तथा गवाहान श्री लोकेन्द्र कुमार मीना से परिवादी श्री शोकत अली की जामा तलाशी लिवायी जाकर उसके पास पहने हुये कपड़े व मोबाईल के अलावा कुछ भी नहीं रहने दिया गया। श्री हर्ष कुमार कानि0 नं0 234 के हाथ से सीधे ही फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि परिवादी श्री शोकत अली की पहनी हुई पेंट की साईड की दाहिनी जेब में रखवायी गयी। परिवादी को हिदायत दी गई की वह रिश्वती राशि को रास्ते में अनावश्यक हाथ नहीं लगाये तथा आरोपी द्वारा मांगने पर ही निकालकर रिश्वती राशि उसे देवें। रिश्वती राशि देने के पश्चात एवं पूर्व में आरोपी से हाथ नहीं मिलायें यदि अभिवादन की आवश्यकता पड़े तो दूर से ही दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन कर लें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गयी कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के पश्चात कहां रखता अथवा छुपाता हैं का भी ध्यान रखें तथा आरोपी के रिश्वती राशि प्राप्त करने पर अपने स्वंय के सिर पर दोनों हाथ फेर कर या मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर मिस काल करें ताकि मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों को रिश्वती राशि के लेन–देन होने का पता चल जाये। स्वतन्त्र गवाहन व ट्रेप पार्टी के सदस्यों को भी हिदायत दी गई कि जहां तक सम्भव हो अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुए रिश्वती लेन–देन को देखने एवं वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें। इसके पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री हर्ष कुमार कानि0 से ही मालखाना में रखवाया गया। एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी डलवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट मिलाकर घोल तैयार करवाने पर गिलास के घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। कांच के उक्त रंगहीन घोल में नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री हर्ष कुमार कानि0 के दाहिने हाथ की अंगुलियो को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस तरह गवाहान् एवं परिवादी को समझाईश की गई कि जो भी व्यक्ति इन फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त नोटो के हाथ लगाएगा या छुयेगा तो उसके हाथों की अंगुलियों को सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलवाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह जाहिर होगा कि उसने फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि प्राप्त की है। इसके पश्चात् श्री हर्ष कुमार कानि. के द्वारा ही दृष्टान्त के उपयोग में लिये गये गिलास में मौजुद गुलाबी घोल को बाथरूम के वॉश बेसिन में डलवाकर नष्ट करवाया गया, गिलास को साफ करवाकर कार्यालय में ही रखा गया। फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने में काम में लिये गये अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया। इसके बाद दो गिलासों, ट्रेप सामग्री किट, चम्मच, खाली पव्वों इत्यादी को भी साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह धुलवाये जाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। श्री हर्ष कुमार कानि0 एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों के दोनों हाथों को भी साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। इसके पश्चात् परिवादी को छोड़कर समस्त पार्टी के सदस्यगणो ने अपनी–अपनी आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तथा ट्रेप दल में ब्यूरो स्टाफ के पास स्वंय के विभागीय परिचय पत्र रहने दिये गये, किसी के पास कोई आपत्ति जनक वस्तु अथवा राशि नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् पुनः परिवादी सहित समस्त ट्रेप पार्टी के हाथ साफ पानी एवं साबुन से धुलवाये गये। रिश्वती लेन देने के समय लेन–देन वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु एक डिजिटल टेप रिकॉर्डर के रख रखाव व संचालन की विधि समझाकर परिवादी श्री शोकत अली को सुपुर्द किया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द प्राप्ति एवं सुपुर्दगी रिश्वती राशि नोट एवं दृष्टांत मुर्तिब की जाकर हाजरिन को पढ़कर सुनाई गई, सुन समझ सही मान संबंधितो ने अपने–अपने हस्ताक्षर किये। समय 11:15 एएम पर ट्रेप कार्यवाही से पूर्व की सम्पूर्ण कार्यवाही होने के पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री लोकेन्द्र कुमार मीना व श्री बिरेन्द्र सिंह तथा ब्यूरो स्टाफ के श्री शिवराज कानि0 166 के मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर तथा सरकारी वाहन बोलेरो श्री मोहम्मद आफ़ाक़ हैड कॉनि0 97 से ड्राईव करवाकर बजानिब मिनि सचिवालय, झालावाड़ की ओर ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुआ। आगे–आगे परिवादी श्री शोकत अली को उसकी स्वंय की कार से व उसके पिछे पिछे श्री सूरज मल कानि. नं. 521, श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 व श्री पवन कुमार कानि0 28, श्री गोपाल लाल हैड कानि0 26 को अलग–अलग मोटरसाईकिलों से रवाना किया तथा श्री हर्ष कुमार कानि. नं. 234 को ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ में छोड़ा गया। समय 11:25 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो सरकारी गवाहान् एवं एसीबी जाब्ता के साथ लाये अपने–अपने वाहनों से उपखण्ड कार्यालय मिनि सचिवालय झालावाड़ के पास पहुंचे। परिवादी को हिदायत देकर रिश्वत लेनदेन के दौरान होने वाली वार्तालाप को रिकॉर्ड करने हेतु डिजिटल टेप रिकार्डर मय रिश्वत राशि के उपखण्ड कार्यालय में आरोपी श्री हेमराज नागर बाबू के पास रवाना किया। वाहनों से उतरकर परिवादी के पिछे–पिछे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो स्टाफ के मिनि सचिवालय स्थित उपखण्ड ऑफिस परिसर, झालावाड़ के हॉल में पहुंचे व ट्रेप पार्टी को दोनों तरफ खड़ा कर मन् अतिरिक्त् पुलिस अधीक्षक बीच में खड़ा होकर ट्रेप जाल बिछाकर परिवादी के ईशारे का इन्तजार करने लगा। समय 11:35 एएम पर परिवादी श्री शोकत अली द्वारा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को मिनि सचिवालय झालावाड़ स्थित कार्यालय उपखण्ड अधिकारी के कमरा नं0 218 के सामने से पूर्व निर्धारित ईशारा सिर पर हाथ फिराकर करने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप पार्टी व स्वतंत्र गवाहान को एकत्रित कर हमराह लेकर परिवादी श्री शोकत अली के पास पहुंचा तथा पूर्व में आरोपी से रिश्वत लेनदेन के समय

वार्तालाप को रिकॉर्ड करने हेतु सुपुर्दशुदा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर परिवादी श्री शोकत अली से आरोपी द्वारा रिश्वत राशि मांगने, प्राप्त करने तथा रिश्वत राशि रखने वाली जगह के बारे में पूछा गया तो परिवादी ने बताया कि आरोपी बाबू ने अभी अभी कुछ देर पहले मुझसे रिश्वत राशि प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की पिछे की दाहिनी जेब में रखकर छत की तरफ चला गया है। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ट्रेप पार्टी व स्वतंत्र व गवाहान के साथ साथ परिवादी श्री शोकत अली के पिछे पिछे कमरा नम्बर 218 से सटी हुई खुली छत के ऊपर बने हुए कमरे के पिछे पहुंचा तो वहां आड़ में खड़े नीले रंग की चैक शर्ट व सलेटी रंग की पेन्ट पहने हुए सफेद रंग के चश्मा लगाये गेंहुए रंग के युवक की और ईशारा कर परिवादी ने बताया कि यही श्री हेमराज नागर बाबू है जिन्होने अभी अभी मुझसे रिश्वत राशि के 4,000रूपये प्राप्त कर अपनी पहनी हुई सलेटी रंग की पेन्ट की पिछे की दाहिनी जेब में रखकर छत की तरफ यहां आकर छुप गये है। इस पर आरोपी को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपना व हमराहीयान का परिचय दिया तथा यहां आने का प्रयोजन बताया तो वह अत्यन्त घबरा गया जिसे तसल्ली देकर पानी पिलाकर उसका नाम-पता पूछा तो उसने अपना नाम हेमराज पुत्र श्री गुलाबचन्द जाति नागर उम्र 30 वर्ष निवासी वार्ड नं0 10 हरनावदा शाहजी थाना हरनावदा शाहजी जिला बारां हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, मिनि सचिवालय झालावाड़ (राज0) होना बताया। आरोपी श्री हेमराज नागर कनिष्ठ सहायक का दाहिना हाथ श्री सूजरमल कानि0 व बायां हाथ श्री देवदान सिंह कानि0 से पकड़वाकर उपखण्ड कार्यालय झालावाड़ के कमरा नं0 218 में लाकर आरोपी श्री हेमराज नागर से परिवादी श्री शोकत अली से अभी अभी ली गयी 4,000रूपये की रिश्वत राशि बाबत् पूछा गया कि उसने यह रिश्वत राशि क्यों व किस उद्देश्य से ली है। इस पर आरोपी श्री हेमराज नागर ने रूबरू गवाहान बताया कि मैंने श्री शोकत अली की दोनों बन्दूको की लाईसेंस नवीनीकरण की फीस समझकर यह रूपये ले लिये थे। मुझसे गलती हो गयी, माफ करें। इस पर पुनः आरोपी श्री हेमराज नागर से पूछा गया कि परिवादी श्री शोकत अली की टोपीदार दोनों लाईसेंसशुदा बन्दूको का लाईसेंस का नवीनीकरण तो हो ही गया है फिर अब किस बात के 4,000रूपये आपने लिये है। इस पर आरोपी श्री हेमराज नागर ने बताया कि श्री शोकत अली के फटे हुए लाईसेंस का नया डुप्लीकेट बनाने की फीस के रूपये समझकर लिये है। आरोपी श्री हेमराज नागर द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण का खण्डन करते हुए परिवादी श्री शोकत अली ने बताया कि साहब यह बाबू जी झूंठ बोल रहे है। मैंने मेरे नाम से दो टोपीदार बन्दूके जिनमें एक सिंगल नाली तथा दूसरी डबल नाली है। इन दोनों टोपीदार बन्दूको का लाईसेंस दिनांक 31.12.2021 को एक्सपायर हो रहा था। इस पर मेरे द्वारा जरिये चालान दिनांक 22.12.2021 को नवीनीकरण की फीस जमा कराने के पश्चात् मेरी दोनों टोपीदार बन्दूको का दिनांक 01.01.2022 से दिनांक 31.12.2026 तक लाईसेंस नवीनीकरण कर दिया था। तत्पश्चात् मेरे द्वारा दिनांक 18.05.2022 को मेरी टोपीदार बन्दूक दो नाली तथा ओल्ड बन्दूक एक नाली जिनके लाईसेंस नम्बर 3106 दो नाल नम्बर 855 व एक नाल नम्बर 1682 का लाईसेंस पुराना व फटा होने की वजह से नया डुप्लीकेट लाईसेंस बनवाने का आवदेन पत्र श्रीमान उप जिला मजिस्ट्रेट महोदय, झालावाड़ के नाम से दिया था। परन्तु श्री हेमराज नागर द्वारा मुझसे नया डुप्लीकेट लाईसेंस बनवाने की एवज में 5,000रूपये रिश्वत राशि की मांग की। जिस पर मैंने कहा कि 1,000रूपये खर्चे पानी के रिश्वत के रूप में आपको पहले ही लाईसेंस नवीनीकरण के समय दे दिये है। इस पर मैंने दिनांक 24.05.2022 को आपके एसीबी कार्यालय पर जाकर ट्रेप कार्यवाही करांने की रिपोर्ट दर्ज करायी थी। जिस पर उसी दिन श्री देवदान सिंह जी के साथ डिजिटल वाईस रिकॉर्डर देकर भेजने पर मैंने इनसे एसडीएम साहब झालावाड़ कार्यालय में आकर मेरा नया डुप्लीकेट लाईसेंस बनाने के सम्बंध में रिश्वत मांग के सम्बंध में बातचीत की थी। जिसमें इनके द्वारा मुझसे 4,000रूपये रिश्वत राशि देने पर लाईसेंस का डुप्लीकेट बनाने की बात कही थी। इसके बाद आज दिनांक को मेरे द्वारा इनको 4,000रूपये रिश्वत राशि देने पर आपके द्वारा ट्रेप कर लिया गया है। ट्रेप होने के बाद मैंने एसडीएम साहब झालावाड़ के कार्यालय में स्थित कमरा नम्बर 218 के बाहर से आपको ईशारा कर दिया था। जिस पर इनको कमरा नम्बर 218 से सटी हुई खुली छत पर बीच में बने हुए कमरे की आड में पिछे छिपे होने पर आप द्वारा पकड़ लिया है। फिर आरोपी श्री हेमराज नागर के दोनों हाथों की धुलाई हेतु दो साफ कांच के गिलासो में सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। तत्पश्चात एक कांच के गिलास मे तैयार घोल मे आरोपी श्री हेमराज नागर के दाहिनें हाथ की उंगलियो व अंगूठे को उक्त गिलास के घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ। जिसे दो साफ कांच की शिशियों मे आधा-आधा मौके पर भरकर सील-मोहर चिट कर मार्का आरएच-1, आरएच-2 अंकित कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ब्यूरो लिया गया। फिर दूसरे कांच के गिलास मे तैयार घोल में आरोपी श्री हेमराज नागर के बायें हाथ की उंगलियो व अंगूठे को उक्त गिलास के घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमेला प्राप्त हुआ। जिसे दो साफ कांच की शिशियो में आधा-आधा मौके पर भरकर सील-मोहर चिट कर मार्का एलएच-1, एलएच-2 अंकित कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ब्यूरो लिया गया। फिर गवाह श्री लोकेन्द्र कुमार मीना को आरोपी श्री हेमराज नागर की पहनी हुई पेन्ट की पिछे की दाहिनी जेब की तलाशी देने के निर्देश दिये जाने पर उसके द्वारा तलाशी के दौरान 500-500 रूपये के नोटो की एक थेई पेश की जिसकी किनती करने पर 500-500रूपये रिश्वत राशि के कुल

08 नोट कुल राशि 4,000रूपये होना पाया गया। फिर अन्य गवाह श्री बिरेन्द्र सिंह को फर्द सुपुर्दगी नोट देकर उक्त नोटो के मिलान करने के निर्देश देने पर दोनों गवाहान ने बरामद नोटो के नम्बर फर्द सुपुर्दगी में अंकित नोटो का मिलान कर हूबहू रिश्वत राशि वाले 500–500रूपये के 08 नोट कुल 4,000रूपये बरामद किये गये। बरामद शुदा नोटो के नम्बर निम्न प्रकार है:–

1	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	4GH 563612
2	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	8FQ 974575
3	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	5AL 120361
4	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	0HS 922686
5	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	6VQ 597762
6	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	8QC 391611
7	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	1VM 609027
8	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	2MC 739518

उक्त बरामद नोटो को कागज में मौके पर ही सील–मोहर चिट कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ब्यूरो लिया गया। फिर आरोपी श्री हेमराज नागर को अन्य लोवर(पेन्ट) मंगवाकर पहनवाकर रिश्वत राशि रखी हुई, पहनी हुयी सलेटी रंग की पेन्ट की पिछे की दाहिनी जेब को उल्टवाकर उक्त घोल मे डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ। जिसे दो साफ कांच की शिशियों मे आधा–आधा भरकर मौके पर ही सील–मोहर चिट कर मार्का पी–1, पी–2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ब्यूरो लिया गया। पेन्ट की जेब की धुलाई के पश्चात पंखे की हवा मे सुखाकर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कपडे की थेली मे रखकर सील चिट करवाकर कब्जा ब्यूरो लिया गया तथा पेन्ट के शील्ड शुदा पैकेट को जब्त कर मार्क–पी अंकिल किया गया। रूबरू परिवादी व स्वतंत्र गवाहान परिवादी श्री शोकत अली के पेण्डिंग कार्य से सम्बंधित डुप्लीकेट लाईसेंस जारी करने बाबत् उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ के नाम दिया गया प्रार्थना पत्र व फटा हुआ परिवादी श्री शोकत अली का आर्म्स लाईसेंस आरोपी श्री हेमराज नागर की टेबल की ऊपरी दराज से बरामद किया गया। इसके अतिरिक्त आर्म्स लाईसेंस रजिस्टर के सम्बंधित पेज, जमा कराये गये चालान तथा आर्म्स लाईसेंस आवेदन पत्र आदि कागजात की फोटोप्रति करवाकर उनको प्रमाणित करवाकर शामिल पत्रावली की जाकर मूल कागजात श्रीमती मनीषा तिवारी उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़ को सुपुर्द किये गये। उक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वती राशि एवं हाथ धुलाई तैयार कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। समय 03:00 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री शोकत अली के बताये अनुसार घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका घटनास्थल बरामदगी रिश्वत राशि तैयार कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 03:25 पीएम पर आरोपी श्री हेमराज नागर हाल कनिष्ठ, सहायक कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, मिनि सचिवालय झालावाड़ (राज0) की जामा तलाशी गवाह श्री लोकेन्द्र कुमार मीना से लिवायी जाकर रूबरू गवाहन श्री लोकेन्द्र कुमार मीना व श्री बिरेन्द्र सिंह के समक्ष जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तारी मूर्तिब कर गिरफ्तार किया गया। आरोपी श्री हेमराज नागर की गिरफ्तारी की सूचना कार्यालय उपखण्ड झालावाड़ में उपस्थित उपखण्ड अधिकारी श्रीमती मनीषा तिवारी को दी गई। फर्द गिरफ्तारी पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। समय 03:40 पीएम पर आरोपी श्री हेमराज नागर को दोनों स्वतंत्र गवाहन श्री लोकेन्द्र कुमार मीना व श्री बिरेन्द्र सिंह के समक्ष, दिनांक 24.05.2022 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व दिनांक 31.05.2022 को रिश्वत लेन देन वार्ता जिसे परिवादी द्वारा डीवीआर में रिकॉर्ड किया गया है, का परीक्षण करवाने हेतु जरिये फर्द प्राप्ति, नमूना आवाज नोटिस दिया गया। जिस पर आरोपी श्री हेमराज नागर ने फर्द पर ही स्वंय के हस्तलेख में लिखकर दिया कि " मैं अपनी आवाज का परीक्षण नहीं कराना चाहता हूँ।" अंकित कर हस्ताक्षर किये। फर्द प्राप्ति नमूना आवाज नोटिस तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गयी। समय 04:00 पीएम पर सम्पूर्ण कार्यवाही पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी श्री शोकत अली, दोनों स्वतंत्र गवाहान व जाब्ता तथा गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री हेमराज नागर को साथ लेकर मय ट्रेप बॉक्स व जब्त शुदा आर्टिकल्स, रिश्वत राशि 4,000रूपये तथा धोवन के सेम्पल एलएच–1, एलएच–2, आरएच–1, आरएच–2, पी–1, पी–2, पेन्ट का शील्ड शुदा पेकेट मार्क–पी मय साथ लाये अपने–अपने वाहनों से आरोपी के किराये के कमरे(आवास) की खाना तलाशी लेने हेतु साईनाथपुरम, झालावाड़ के लिए रवाना होकर समय 04:10 पीएम पर स्वामी विवेकानन्द औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र साईनाथपुरम, झालावाड़ लिखे मकान के दूसरी मंजिल पर स्थित आरोपी का क़िराये से लिया हुआ कमरा(आवास) पर पहुंचा। आरोपी से कमरे का ताला खुलवाकर नियमानुसार स्वतंत्र गवाहान के समक्ष खाना तलाशी प्रारम्भ की गयी। समय 04:15 पीएम पर आरोपी श्री हेमराज नागर के किराये के कमरे(आवास) की खाना तलाशी ली तो कोई महत्तवपूर्ण वस्तु जैसे स्थावर सम्पत्ति के कागजात, नकदी, स्वर्ण आभूषण आदि नहीं मिले कोई वस्तु दस्तोवज इत्यादी जब्त नहीं किये गये। फर्द खाना तलाशी मूर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गया। समय 4:40 पीएम पर मन् अतिरिक्त

पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान व जाब्ता तथा गिरफ्तार शुदा आरोपी को साथ लेकर मय ट्रेप बॉक्स व जब्त शुदा आर्टिकल्स व रिश्वत राशि 4,000रूपये इत्यादी के मय अपने साथ लाये वाहनों से एसीबी कार्यालय झालावाड़ के लिए रवाना हुआ तथा परिवादी को भी उसकी स्वंय की कार से तथा अन्य ब्यूरो स्टाफ को उनकी मोटर साईकिलों से कार्यालय में पहुंचने के निर्देश दिये गये। रवाना शुदा समय 05:00 पीएम पर ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ पहुँचा। साथ ही परिवादी श्री शोकत अली भी अपनी स्वंय की कार से व ब्यूरो स्टाफ भी उनकी मोटरसाईकिलों से ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। मौके से जब्त शुदा व बरामद शुदा माल बतौर वजह सबूत, रिश्वत राशि तथा धोवन के सैम्पल इत्यादि श्री गोपाल लाल मुख्य आरक्षक नं. 26 को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर में इंद्राज करवाकर सुरक्षित मालखाना रखवाये गये। समय 05:10 पीएम पर परिवादी श्री शोकत अली एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में दिनांक 31.05.2022 को वक्त रिश्वत लेनदेन के समय आरोपी एवं परिवादी के बीच हुई वार्ता जो डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में सेव थी उक्त वार्ता को कार्यालय कम्प्यूटर में लेकर सेव कर उक्त वार्ता की जरिये कम्प्यूटर श्री देवदान सिंह कानि. को निर्देश देकर, फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत लेनदेन वार्ता मुर्तिब कर फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। समय 05:40 पीएम पर दिनांक 24.05.2022 को आरोपी श्री हेमराज नागर कनिष्ठ सहायक व परिवादी श्री शोकत अली के मध्य रिश्वत की मांग से संबंधित वार्ता हुई थी जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 31.05.2022 को समय 09.15 एएम पर तैयार की गई थी व दिनांक 31.05.2022 को रिश्वत लेनदेन के समय श्री हेमराज नागर कनिष्ठ सहायक व परिवादी श्री शोकत अली के मध्य वार्ता हुई थी जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 31.05.2022 को समय 05.10 पीएम पर तैयार की गई थी। उक्त दोनों वार्ताओं को कार्यालय कम्प्यूटर में सेव किया गया था। उक्त दोनों वार्ताओं की जरिये कम्प्यूटर चार सीडी डब करवाई गई, जिसमें एक सीडी आरोपी श्री हेमराज नागर के लिये, एक सीडी नमूना आवाज हेतु तथा एक सीडी माननीय न्यायालय हेतु कपड़े की थेली में रखकर सील मोहर की गई तथा एक सीडी अनुसंधान अधिकारी हेतु खुली रखी गई। जिसकी फर्द डबिंग एवं जब्ती सीडी तैयार करवाकर सीडी व फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। समय 05:50 पीएम पर परिवादी श्री शोकत अली एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री लोकेन्द्र कुमार मीना व श्री बिरेन्द्र सिंह को सम्पूर्ण कार्यवाही के पश्चात् रूखसत किया गया। समय 06:00 पीएम पर कार्यालय में हवालात की व्यवस्था नहीं होने के कारण आरोपी श्री हेमराज नागर को वास्ते सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना कोतवाली झालावाड़ की हवालात में बंद करवाने हेतु तहरीर देकर बाद कोरोना टैस्ट करवाकर जरिये श्री सूरजमल कानि0 नं0 521 व श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425 के साथ जरिये सरकारी बोलेरो वाहन से भिजवाया गया जो समय 06:25 पीएम पर आरोपी श्री हेमराज नागर को पुलिस थाना कोतवाली झालावाड़ की हवालात में बन्द करवाकर श्री सूरजमल कानि0 नं0 521 व श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425 कार्यालय में हाजिर आये।

अब तक की कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री शोकत अली पुत्र श्री नियामत अली जाति मुसलमान उम्र 49 वर्ष निवासी राड़ी के बालाजी रोड़, हबीब नगर झालावाड ने दिनांक 24.05.2022 को कार्यालय में उपस्थित होकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसीबी झालावाड़ के नाम रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाने बाबत् एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। परिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र व मजमून दरियाफ्त से मामला संशोधित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 की धारा 7 की परिधी में आने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार उसी दिन रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया था। रिश्वत सत्यापन वार्ता में आरोपी श्री हेमराज नागर कनिष्ठ सहायक द्वारा परिवादी श्री शोकत अली से उसकी टोपीदार बन्दूको के लाईसेंस की नयी डुप्लीकेट लाईसेंस बनाने की एवज में 4,000रूपये की मांग करने की पुष्टि हुई। इस पर ट्रेप कार्यवाही के आयोजन का निर्णय लिया गया। परिवादी द्वारा रिश्वत राशि 4,000रूपये की व्यवस्था कर दिनांक 31.05.2022 को कार्यालय में उपस्थित आने पर ट्रेप का आयोजन कर कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, मिनि सचिवालय झालावाड़ पहुंचकर परिवादी को रिश्वत राशि लेकर आरोपी के पास भेजा गया। आरोपी श्री हेमराज नागर कनिष्ठ सहायक द्वारा परिवादी श्री शोकत अली से रिश्वत राशि के 4,000रूपये प्राप्त करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। रिश्वत राशि उसकी पहनी हुई पेन्ट की पिछे की दाहिनी जेब से बरामद की गयी। आरोपी श्री हेमराज नागर कनिष्ठ सहायक के दोनों हाथों का धोवन लिया गया जिसमें दाहिने हाथ के धोवन का रंग हल्का गुलाबी व बायें हाथ को धोवन मटमेला प्राप्त हुआ तथा उसकी पहनी हुई पेन्ट की पिछे की दाहिनी जेब का धोवन गुलाबी प्राप्त हुआ। परिवादी श्री शोकत अली के आर्म्स लाईसेंस की डुप्लीकेट तैयार कराने सम्बंधी एसडीएम झालावाड़ के नाम दिये गये प्रार्थना पत्र, टोपीदार बन्दूको के आर्म्स लाईसेंस को आरोपी की टेबल की ऊपर वाली दराज से रूबरू गवाहान बरामद होना। परिवादी द्वारा पेश किए गये प्रार्थना पत्र व मजमून दरियाफ्त, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 24.05.2022 व रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 31.05.2022 तथा फर्द बरामदगी रिश्वत राशि से आरोपी का उक्त कृत्य जुर्म अंतर्गत धारा 7 पी.सी. एक्ट संशोधित 2018 के अन्तर्गत प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री हेमराज पुत्र श्री गुलाबचन्द जाति नागर उम्र 30 वर्ष निवासी वार्ड नं0 10 हरनावदा शाहजी थाना हरनावदा शाहजी जिला बारां हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, मिनि सचिवालय झालावाड़ (राज0) के विरूद्ध जुर्म अंर्तगत धारा 7 पी.

सी. एक्ट संशोधित 2018 का अपराध घटित पाये जाने पर उपरोक्त आरोपी के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कता की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सी0पी0एस0 राज0 जयपुर की सेवा में सादर प्रेषित है।

भवदीय;

(भवानी शंकर मीणा)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
झालावाड़।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री भवानी शंकर मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड़ ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री हेमराज नागर, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, मिनी सचिवालय, झालावाड़ के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 214/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

1.6.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 1893-97 दिनांक 01.6.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, झालावाड़।
4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड़।

1.6.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।